

" निविदा सूचना "

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नगर पालिका परिषद हापुड़ सीमान्तगत होने वाली पार्किंग शुल्क वसूली एवं, यूनीपोल, क्योस्क आदि से होने वाले विज्ञापन सम्बन्धी कार्य की निविदा दरें आमन्त्रित करती है। निविदा प्रपत्र पालिका कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) कार्यालय हापुड़ से दिनांक 27.04.2017 अपरान्ह 2:00 बजे तक निविदा के सम्मुख दर्ज शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त निविदा अधोहस्ताक्षरी एवं अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 29.04.2017 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक डाली जा सकेगी। जो अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) महोदय के समक्ष नियत तिथि को खोली जायेगी।

शासनादेश स0-ए-1-1173/दस- 2001-10(55)/2000 वित्त लेखा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल 2001 के अनुसार कार्य की तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफे में रखकर दोनो बिडों को एक बड़े लिफाफे में रखकर निविदा डालनी होगी। तकनीकी बिड सही होने पर ही वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जायेगा। तकनीकी बिड व वित्तीय बिड के प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय से उपलब्ध होंगे। तकनीकी बिड के साथ निविदा के सम्मुख धरोहर राशि की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हापुड़ के नाम से बंधक हो अथवा पालिका में जमा धन की रसीद साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

सामान्य निर्देश:-

1. निविदा पत्र क्रय करते समय उपरोक्त मद के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम अंकन 40 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा एवं मजिस्ट्रेट से सत्यापित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
2. निविदा के साथ निविदित धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या नगद जमा की रसीद निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
3. विज्ञापन शुल्क प्रचार-प्रसार के कार्य की उच्चतम धनराशि की निविदा की स्वीकृति उपरान्त निविदा की शेष धनराशि निविदा स्वीकृति के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध के समय जमा करनी अनिवार्य होगी।
4. अधिकतम धनराशि वाली निविदा को स्वीकृत किया जायेगा, किन्तु किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
5. निविदा स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर ठेके का नियमानुसार देय स्टाम्प पर अनुबन्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. पालिका द्वारा निर्धारित/स्वीकृत स्थलो पर ही प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा सकता है, जिसकी सूची उच्चतम निविदादाता को प्राप्त कराया जायेगी।
8. पालिका के बकायेदार/विवादित ठेकेदार अथवा फर्म इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
9. ठेके की शर्तों आदि के बारे में जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में पालिका के अनुज्ञापन विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।
10. विज्ञापन शुल्क/प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु कार्यादेश अनुबन्ध होने एवं ठेके की समस्त धनराशि जमा होने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
11. ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद का क्षेत्राधिकार जनपद हापुड़ होगा।

| क्र0 सं0 | निविदा/कार्य का विवरण | समयावधि | निविदा प्रपत्र मूल्य | निविदा की न्यूनतम सरकारी धनराशि (रु0मे) | निविदित धनराशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि) |
|----------|---|---|----------------------|---|---|
| 01 | पालिका सीमान्तगत पार्किंग शुल्क वसूली का कार्य। | 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक (11 माह) | 1000+वैट टैक्स | 21,17,500/- | 5,29,375/- |
| 02 | तहसील चौराहे से एच0पी0डी0ए0 नाले तक। विज्ञापन शुल्क वसूली का कार्य। | 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक (11 माह) | 1000+वैट टैक्स | 10,50,000/- | 2,62,500/- |
| 03 | तहसील चौराहे से ततारपुर बाईपास तक। (स्वर्ग आश्रम रोड एवं मीनाक्षी रोड सम्मिलित।) विज्ञापन शुल्क वसूली का कार्य। | 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक (11 माह) | 1000+वैट टैक्स | 10,50,000/- | 2,62,500/- |
| 04 | अतरपुरा चौपले से रेलवे रोड फ्रीगंज होते हुए तहसील तक। विज्ञापन शुल्क वसूली का कार्य। | 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक (11 माह) | 1000+वैट टैक्स | 9,45,000/- | 2,36,250/- |
| 05 | तहसील चौराहे से बु0शहर रोड पर आई0एम0आई0टी0 कालेज तक एवं मौहल्ला आवास विकास कालोनी मेरठ-बु0शहर रोड। विज्ञापन शुल्क वसूली का कार्य। | 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक (11 माह) | 1000+वैट टैक्स | 3,72,250/- | 93,063/- |
| 06 | अम्बेडकर तिराहे से मेरठ रोड पर पुलिस लाइन तक एवं मौहल्ला आवास विकास कालोनी मेरठ रोड में विज्ञापन शुल्क वसूली का कार्य। | 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक (11 माह) | 1000+वैट टैक्स | 4,85,000/- | 1,21,250/- |

(पी0के0द्विवेदी)
कर निर्धारण अधिकारी
नगर पालिका परिषद हापुड़

(एस0के0 मिश्रा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद हापुड़

(मालती देवी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद हापुड़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कार्यालय जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी महोदय हापुड़ के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
2. उपजिलाधिकारी हापुड़ के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु।
3. नगर प्रसिद्धा परिषद हापुड़ के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु।
4. एन0आई0सी0 जनपद हापुड़ को सूचनार्थ।
5. सम्पादक.....

संज्ञा में प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियाँ बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
कर निर्धारण अधिकारी
नगर पालिका परिषद हापुड़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद हापुड़

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद हापुड़।